

नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र

दिनांक 06.09.2023 को पूर्वाह्न 11:00 बजे श्री ए बिपिन मेनन विकास आयुक्त एनएसईजेड की अध्यक्षता में नोएडा, ग्रेटर नोएडा और खुर्जा में स्थित निजी एसईजेड के संबंध में अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में अनुमोदन समिति के निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया:-

- i. श्री सुरेंद्र मलिक, संयुक्त विकास आयुक्त, एनएसईजेड (NSEZ)।
 - ii. श्री एस के राव, अधीक्षक (सीमा शुल्क), नोएडा।
 - iii. श्री चमन लाल, सहायक डीजीएफटी, कार्यालय डीजीएफटी (DGFT), सीएलए, नई दिल्ली।
 - iv. सुश्री गरिमा मिश्रा, प्रबंधक, डीआईसी, नोएडा।
 - v. श्री नीरज कुमार, आयकर अधिकारी, नोएडा।
- इसके अलावा, बैठक के दौरान i) श्री किरण मोहन मोहदिकर, डीडीसी, ii) श्री अमित गुसा, निर्दिष्ट अधिकारी, iii) श्री प्रमोद कुमार, एडीसी iv) श्री प्रकाश चंद उपाध्याय, एडीसी और; v) अनुमोदन समिति की सहायता के लिए श्री अनुज दीक्षित, यूडीसी भी उपस्थित थे। यह बताया गया कि गणपूर्ति उपलब्ध है और बैठक आगे बढ़ सकती है।
 - प्रारंभ में अध्यक्ष ने प्रतिभागियों का स्वागत किया। एक संक्षिप्त परिचय के बाद, कार्यसूची को क्रमिक रूप से लिया गया। अनुमोदन समिति के सदस्यों के बीच विस्तृत विचार-विमर्श के साथ-साथ आवेदकों/ विकासक /इकाइयों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के बाद, जहां भी आवश्यक हो, निम्नलिखित निर्णय लिए गए:-
 - मद संख्या 1 दिनांक 03.08.2023 को आयोजित अनुमोदन समिति की बैठक के कार्यवृत्त का अनुसमर्थन:-

अनुमोदन समिति को सूचित किया गया कि 07.07.2023 को आयोजित नोएडा, ग्रेटर नोएडा और खुर्जा में एसईजेड की बैठक के मिनट के क्रम संख्या 6 (ii) में एक टंकण के कारण, मेसर्स इनाडेव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्तावित अतिरिक्त स्थान के क्षेत्र की इकाई को 12वीं मंजिल पर, टावर-1 '1414.34 वर्गफुट' के बजाय '12वीं मंजिल, टावर-1 पर 1414.34 वर्गमीटर' लिखा गया था। इकाई को सही क्षेत्रफल सहित अनुमोदन पत्र दिनांक 14.08.2023 जारी कर दिया गया है। समिति ने इस पर गौर किया और इसकी पुष्टि की। इसके अलावा, चूंकि 03.08.2023 को आयोजित अनुमोदन समिति के निर्णयों के संबंध में अनुमोदन समिति या व्यापार के किसी भी सदस्य से कोई संदर्भ प्राप्त नहीं हुआ था, इसलिए, 03.08.2023 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

मद संख्या 2: नई इकाई की स्थापना हेतु प्रस्ताव:-

2.1. मैसर्स सू प्राइवेट लिमिटेड।

21/09/23

2.1.1 मेसर्स सू प्राइवेट लिमिटेड ने गोल्डन टावर इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड आईटी/आईटीईएस एसईजेड प्लॉट नंबर 8, सेक्टर- 144, नोएडा (उत्तर प्रदेश) में दूसरी मंजिल, विंग-ए, बिल्डिंग नंबर बी2 पर 4269.26 वर्ग मीटर (45954 वर्ग फुट) के निर्मित क्षेत्र में, सेवा गतिविधियाँ शुरू करने के लिए अर्थात् "सॉफ्टवेयर विकास की प्रकृति में सूचना प्रौद्योगिकी, अनुप्रयोग विकास, मौजूदा एप्लिकेशन/सॉफ्टवेयर में वृद्धि, एकीकरण, परीक्षण और रखरखाव, अनुसंधान और विकास सेवाएं (सीपीसी-842), सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएं जैसे इंजीनियरिंग और रचना सेवाएं (सीपीसी-8672) एवं सहायता केंद्र (सीपीसी-87909)" एक इकाई स्थापित करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया। आवेदक ने पांच वर्षों की अवधि में 57000.00 लाख रुपये के निर्यात और 53764.18 लाख रुपये के संचयी एनएफई का प्रस्ताव दिया। आयातित पूंजीगत वस्तुओं के लिए 385.82 लाख रुपये और स्वदेशी पूंजीगत वस्तुओं के लिए 1543.26 लाख रुपये का अनुमानित निवेश प्रस्तावित किया गया था। आवेदक ने 2850.00 लाख रुपये की आयातित इनपुट सेवाओं और 21880.07 लाख रुपये की स्वदेशी इनपुट सेवाओं का भी प्रस्ताव दिया है। आवेदक ने प्रस्तावित स्थान के आवंटन के लिए एसईजेड विकासक द्वारा जारी स्थान का अनंतिम प्रस्ताव दिनांक 22.08.2023 प्रस्तुत किया है।

2.1.2. समिति को सूचित किया गया कि प्रथम दृष्टया आवेदन में निम्नलिखित बातें देखी गई हैं:-

- I. दोनों निदेशकों के पैन कार्ड की प्रतियां जमा करना आवश्यक है।
- II. सीपीसी संस्करण-2 के अनुसार प्रस्तावित सेवा गतिविधियों के सीपीसी कोड दिए जाने आवश्यक हैं।
- III. सुश्री काजल गर्ग और श्री रामांग गर्ग निम्नलिखित इकाइयों में भी सामान्य निदेशक हैं, जिन्होंने एक ही एसईजेड में एसईजेड इकाइयां स्थापित करने के लिए एक साथ आवेदन किया है: -
 - a. आईईएसमार्टटेकइंडिया प्राइवेट लिमिटेड
 - b. एस.ई.मोबिलिटी टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड
 - c. एस.आईपे टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड
- iv. आयातित और स्वदेशी पूंजीगत वस्तुओं की सूची के अनुसार, इन सभी आवेदक कंपनियों ने आयातित और स्वदेशी सामग्री के रूप में रेत सहित निर्माण सामग्री का प्रस्ताव दिया है।
- vi. सभी चार आवेदक कंपनियों ने समान अधिकृत परिचालन के लिए आवेदन किया है।

2.1.3. श्री रमन गर्ग, निदेशक, सुश्री काजल गर्ग, निदेशक, श्री प्रमोद जोशी, वित्त प्रबंधक, सुश्री श्वेता शिशोदिया, सलाहकार, श्री आदित्य कुमार, लेखा परीक्षक, श्री नितिन गुसा, सलाहकार और श्री रोहित सिंह, मेसर्स सू प्राइवेट लिमिटेड अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव को स्पष्ट किया।

2.1.4. अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और विचार-विमर्श के बाद प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। यह अनुमोदन उपरोक्त पैरा 2.1.2 के (i), (ii) और (iv) में बताए गए दस्तावेजों/स्पष्टीकरण

21/5

के साथ-साथ आवेदक इकाई के संबंध में सीए प्रमाणित शेयरधारिता विवरण और निवल मूल्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के अधीन है। इसकी विदेशी इकाई संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित मेसर्स सीव के नाम पर है।

2.2. मेसर्स एस.ईमोबिलिटी टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड।

2.2.1 मेसर्स एस ईमोबिलिटी टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड ने दूसरी मंजिल, विंग-बी/1, बिल्डिंग नंबर बी2 में 1340.77 वर्ग मीटर (14432 वर्ग फुट) के निर्मित क्षेत्र पर गोल्डन टावर इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड आईटी/आईटीईएस एसईजेड प्लॉट नंबर 8, सेक्टर-144, नोएडा (उत्तर प्रदेश) में सेवा गतिविधियां अर्थात "सॉफ्टवेयर विकास, एप्लिकेशन विकास, मौजूदा एप्लिकेशन/सॉफ्टवेयर में वृद्धि, एकीकरण, परीक्षण और रखरखाव, अनुसंधान और विकास सेवाएं (सीपीसी-842), सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएं जैसे इंजीनियरिंग और रचना सेवाएं (सीपीसी-) की प्रकृति में सूचना प्रौद्योगिकी। 8672) एवं सहायता केंद्र (सीपीसी-87909)" शुरू करने के लिए इकाई स्थापित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। आवेदक ने पांच वर्षों की अवधि में 21150.00 लाख रुपये का निर्यात और 19982.37 लाख रुपये का संचयी एनएफई प्रस्तावित किया है। आयातित पूंजीगत वस्तुओं के लिए 110.13 लाख रुपये और स्वदेशी पूंजीगत वस्तुओं के लिए 440.51 लाख रुपये का अनुमानित निवेश प्रस्तावित किया गया है। आवेदक ने 1057.50 लाख रुपये की आयातित इनपुट सेवाओं और 8008.64 लाख रुपये की स्वदेशी इनपुट सेवाओं का भी प्रस्ताव दिया है। आवेदक ने प्रस्तावित स्थान के आवंटन के लिए एसईजेड विकासक द्वारा जारी स्थान का अनंतिम प्रस्ताव दिनांक 22.08.2023 प्रस्तुत किया है।

2.2.2. समिति को सूचित किया गया कि प्रथम दृष्टया आवेदन में निम्नलिखित बातें देखी गई हैं:-

- I. दोनों निदेशकों के पैन कार्ड की प्रतियां जमा करना आवश्यक है।
- II. सीपीसी संस्करण-2 के अनुसार प्रस्तावित सेवा गतिविधियों के सीपीसी कोड दिए जाने आवश्यक हैं।
- III. आयातित और स्वदेशी पूंजीगत वस्तुओं की सूची के अनुसार, आवेदक ने आयातित और स्वदेशी सामग्री के रूप में रेत सहित निर्माण सामग्री का प्रस्ताव दिया है।
- IV. आवेदक द्वारा प्रस्तुत विदेशी मुद्रा व्यय के ब्यौरे में गणना में गलती है।

2.2.3. श्री रमन गर्ग, निदेशक, सुश्री काजल गर्ग, निदेशक, श्री प्रमोद जोशी, वित्त प्रबंधक, सुश्री श्वेता शिशोदिया, सलाहकार, श्री आदित्य कुमार, लेखा परीक्षक, श्री नितिन गुप्ता, सलाहकार और श्री रोहित सिंह, मेसर्स एस ईमोबिलिटी के सलाहकार टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुईं और प्रस्ताव के बारे में बताया।

2.2.4. अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और विचार-विमर्श के बाद प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। यह अनुमोदन आवेदक इकाई के साथ-साथ मेसर्स स्मार्ट एमोबिलिटी इंक के संबंध में

र. जोशी

सीए प्रमाणित शेयरधारिता विवरण और निवल मूल्यप्रमाणपत्र के साथ उपरोक्त पैरा 2.2.2 में बताए गए दस्तावेज / स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के अधीन हैं।

2.3. मेसर्स एस आईपे टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड।

2.3.1. मेसर्स एस आईपे टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड ने 1724.37 वर्ग मीटर के निर्मित क्षेत्र पर (18561 वर्ग फुट) दूसरी मंजिल पर, विंग-बी/3, बिल्डिंग नंबर बी2, गोल्डन टावर इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड आईटी/आईटीईएस विशेष आर्थिक क्षेत्र, प्लॉट नंबर 8, सेक्टर-144, नोएडा (उत्तर प्रदेश) में सेवा गतिविधियां अर्थात् "सॉफ्टवेयर विकास की प्रकृति में सूचना प्रौद्योगिकी, अनुप्रयोग विकास, मौजूदा एप्लिकेशन/सॉफ्टवेयर में वृद्धि, एकीकरण, परीक्षण और रखरखाव, अनुसंधान और विकास सेवाएं (सीपीसी-842), सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएं जैसे इंजीनियरिंग और रचना सेवाएं (सीपीसी-8672) एवं सहायता केंद्र (सीपीसी-87909)" शुरू करने के लिए एक इकाई स्थापित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। आवेदक ने पांच वर्षों की अवधि में 19817.50 लाख रुपये का निर्यात और 18683.38 लाख रुपये का संचयी एनएफई प्रस्तावित किया है। आयातित पूंजीगत वस्तुओं के लिए 143.24 लाख रुपये और स्वदेशी पूंजीगत वस्तुओं के लिए 572.97 लाख रुपये का अनुमानित निवेश प्रस्तावित किया गया है। आवेदक ने पांच वर्षों की अवधि में 19817.50 लाख रुपये का निर्यात और 18683.38 लाख रुपये का संचयी एनएफई प्रस्तावित किया है। आयातित पूंजीगत वस्तुओं के लिए 143.24 लाख रुपये और स्वदेशी पूंजीगत वस्तुओं के लिए 572.97 लाख रुपये का अनुमानित निवेश प्रस्तावित किया गया है।

2.3.2. समिति को सूचित किया गया कि प्रथम दृष्टया आवेदन में निम्नलिखित बातें देखी गई हैं:-

- I. दोनों निदेशकों के पैन कार्ड की प्रतियां जमा करना आवश्यक है।
- II. सीपीसी संस्करण-2 के अनुसार प्रस्तावित सेवा गतिविधियों के सीपीसी कोड दिए जाने आवश्यक हैं।
- III. आवेदक के हस्ताक्षरित मूल स्याही नहीं है। आवेदन के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर की मोहर लगाई गई है।
- IV. आयातित और स्वदेशी पूंजीगत वस्तुओं की सूची के अनुसार, आवेदक ने आयातित और स्वदेशी सामग्री के रूप में रेत सहित निर्माण सामग्री का प्रस्ताव दिया है।
- V. परियोजना रिपोर्ट में, 99.99% की शेयरधारिता श्री रमन गर्ग के नाम पर दिखाई गई है।

2.3.3. श्री रमन गर्ग, निदेशक, सुश्री काजल गर्ग, निदेशक, श्री प्रमोद जोशी, वित्त प्रबंधक, सुश्री श्वेता शिशोदिया, सलाहकार, श्री आदित्य कुमार, लेखा परीक्षक, श्री नितिन गुप्ता, सलाहकार और श्री रोहित सिंह, मेसर्स एस आईपे टेक्नोलॉजी प्राइवेट के सलाहकार लिमिटेड अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुआ और प्रस्ताव को समझाया।

र. जोशी

2.3.4. अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और विचार-विमर्श के बाद प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। यह अनुमोदन आवेदक इकाई के साथ-साथ मेसर्स आईपे स्मार्ट इंक के संबंध में सीए प्रमाणित शेयरधारिता विवरण और निवल मूल्य प्रमाण पत्र के साथ उपरोक्त पैरा 2.3.2 में बताए गए दस्तावेज / स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के अधीन है।

2.4. मैसर्स आईईएसमार्टटेकइंडिया प्राइवेट लिमिटेड।

2.4.1 मैसर्स आईईएसमार्टटेकइंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने 805.56 वर्ग मीटर (8671 वर्ग फुट) के निर्मित क्षेत्र पर गोल्डन टावर इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड आईटी/आईटीईएस विशेष आर्थिक क्षेत्र में प्लॉट नंबर 8, सेक्टर-144, नोएडा (उत्तर प्रदेश) में दूसरी मंजिल, विंग-बी/2, बिल्डिंग नंबर बी2 पर सेवा गतिविधियां अर्थात् "सॉफ्टवेयर विकास की प्रकृति में सूचना प्रौद्योगिकी, अनुप्रयोग विकास, मौजूदा एप्लिकेशन/सॉफ्टवेयर में वृद्धि, एकीकरण, परीक्षण और रखरखाव, अनुसंधान और विकास सेवाएं (सीपीसी-842), सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएं जैसे इंजीनियरिंग और रचना सेवाएं (सीपीसी-) 8672) एवं सहायता केंद्र (सीपीसी-87909)" शुरू करने के लिए एक इकाई स्थापित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। आवेदक ने पांच वर्षों की अवधि में 20227.13 लाख रुपये का निर्यात और 19137.29 लाख रुपये का संचयी एनएफई प्रस्तावित किया है। आयातित पूंजीगत वस्तुओं के लिए 78.48 लाख रुपये और स्वदेशी पूंजीगत वस्तुओं के लिए 313.93 लाख रुपये का अनुमानित निवेश प्रस्तावित किया गया है। आवेदक ने 1011.36 लाख रुपये की आयातित इनपुट सेवाओं और 7443.68 लाख रुपये की स्वदेशी इनपुट सेवाओं का भी प्रस्ताव दिया है। आवेदक ने प्रस्तावित स्थान के आवंटन के लिए एसईजेड विकासक द्वारा जारी स्थान का अनंतिम प्रस्ताव दिनांक 22.08.2023 प्रस्तुत किया है।

2.4.2. समिति को सूचित किया गया कि प्रथम दृष्टया आवेदन में निम्नलिखित बातें देखी गई हैं:-

- I. सीपीसी संस्करण-2 के अनुसार प्रस्तावित सेवा गतिविधियों के सीपीसी कोड दिए जाने आवश्यक हैं।
- II. आयातित और स्वदेशी पूंजीगत वस्तुओं की सूची के अनुसार, आवेदक ने आयातित और स्वदेशी सामग्री के रूप में रेत सहित निर्माण सामग्री का प्रस्ताव दिया है।

2.4.3. श्री रमन गर्ग, निदेशक, सुश्री काजल गर्ग, निदेशक, श्री प्रमोद जोशी, वित्त प्रबंधक, सुश्री श्वेता शिशोदिया, सलाहकार, श्री आदित्य कुमार, लेखा परीक्षक, श्री नितिन गुसा, सलाहकार और श्री रोहित सिंह, मेसर्स आईईएसमार्टटेकइंडिया प्राइवेट लिमिटेड उपस्थित हुए। अनुमोदन समिति के समक्ष प्रस्ताव को स्पष्ट किया।

2.4.4. अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और विचार-विमर्श के बाद प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। यह अनुमोदन आवेदक इकाई के साथ-साथ मेसर्स इस्मार्ट टेक इंक. के संबंध में सीए

र. जोशी

प्रमाणित शेयरधारिता विवरण और निवल मूल्यप्रमाण पत्र के साथ उपरोक्त पैरा 2.4.2 में बताए गए दस्तावेज़ / स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के अधीन हैं।

मद संख्या 3: अधिकृत संचालन के लिए सामग्रियों की सूची के अनुमोदन के लिए प्रस्ताव:-

3.1: मेसर्स कॉफोर्ज लिमिटेड, डेवलपर

3.1.1. अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद प्लॉट संख्या टीजेड -02 और 2 ए, टेकज़ोन, ग्रेटर नोएडा (उत्तर प्रदेश) में अपने आईटी / आईटीईएस में निम्नलिखित अधिकृत संचालन करने के लिए मेसर्स कॉफोर्ज लिमिटेड, विकासक की सामग्रियों की प्रस्तावित सूची को मंजूरी दे दी:-

क्रमांक	अधिकृत संचालन	निर्देश संख्या 50 और 54 के अनुसार अधिकृत संचालन की डिफॉल्ट सूची में क्रम संख्या	अनुमानित लागत (Rs. लाख रुपये में)
ii.	बिजली (बिजली बैंकअप सुविधाओं सहित) केवल स्वयं के उपयोग के लिए	23	42.00
vi.	अभिगम नियंत्रण और निगरानी प्रणाली	24	0.90
		कुल:	42.90

3.1.2. अनुमोदन इस शर्त के अधीन है कि निर्दिष्ट अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि आयात के लिए 'प्रतिबंधित/निषिद्ध' उत्पादों की खरीद की अनुमति नहीं दी जाएगी।

3.2: मेसर्स ऑक्सीजन बिजनेस पार्क प्राइवेट लिमिटेड, विकासक

3.2.1. मेसर्स ऑक्सीजन बिजनेस पार्क प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 7, सेक्टर- 144, नोएडा (उत्तर प्रदेश) में आईटी/आईटीईएस के विकासक ने अपने एसईजेड में डिफॉल्ट अधिकृत संचालन के लिए सामग्रियों की सूची के अनुमोदन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है: -

क्रमांक	अधिकृत संचालन	निर्देश संख्या 50 और 54 के अनुसार अधिकृत संचालन की डिफॉल्ट सूची में क्रम संख्या	अनुमानित लागत (Rs. लाख रुपये में)
i.	प्रसंस्करण क्षेत्र में इकाई अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदित सभी प्रकार के भवनों का निर्माण।	22	223.30

21/06/22

6/15

ii.	विद्युत, गैस और पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस वितरण संजाल (Network) जिसमें उपयुक्त क्षमता के आवश्यक सबस्टेशन, पाइपलाइन संजाल (Network) आदि शामिल हैं	04	33.50
iii.	प्रसंस्करण क्षेत्र का वातानुकूलन	21	122.00
iv.	छिड़काव, आग और धूम्र संसूचक के साथ अग्नि सुरक्षा प्रणाली ।	07	51.00
v.	जल उपचार संयंत्र, जल आपूर्ति लाइनें (स्रोत तक समर्पित लाइनें), सीवेज लाइनें, तूफानी जल नालियां और उपयुक्त क्षमता के जल चैनल	02	3.50
vi.	अभिगम नियंत्रण और निगरानी प्रणाली	24	7.50
vii.	बिजली (बिजली बैकअप सुविधाओं सहित) केवल स्वयं के उपयोग के लिए	23	22.50
viii.	स्ट्रीट लाइटिंग, सिग्नल और साइनेज वाली सड़कें	05	2.20
		कुल:	465.80

3.2.2. श्री वैभव जिंदल, नगर प्रमुख, श्री प्रदीप शर्मा, एजीएम और श्री एल डी शर्मा, मेसर्स ऑक्सीजन बिजनेस पार्क प्राइवेट लिमिटेड के सहायक प्रबंधक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए और प्रस्तावित सामग्रियों की आवश्यकता के बारे में बताया।

3.2.3. अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद सामग्रियों की प्रस्तावित सूची को मंजूरी दे दी। अनुमोदन इस शर्त के अधीन है कि निर्दिष्ट अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि आयात के लिए 'प्रतिबंधित/निषिद्ध' उत्पादों की खरीद की अनुमति नहीं दी जाएगी।

3.3: मेसर्स एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, विकासक

3.3.1. प्लॉट संख्या 3ए, 3बी और 2सी, सेक्टर-126, नोएडा (उत्तर प्रदेश) में आईटी/आईटीईएस के विकासक मेसर्स एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने अपने एसईजेड में डिफॉल्ट अधिकृत संचालन के लिए सामग्रियों की सूची के अनुमोदन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है: -

क्रमांक	अधिकृत संचालन	निर्देश संख्या 50 और 54 के अनुसार अधिकृत संचालन की डिफॉल्ट सूची में क्रम संख्या	अनुमानित लागत (Rs. लाख रुपये में)
i.	छिड़काव, आग और धूम्र संसूचक के साथ अग्नि सुरक्षा प्रणाली ।	07	96.34

२१ जून

१/१५

ii.	इंटरनेट संयोजकता (Internet connectivity) सहित दूरसंचार और अन्य संचार सुविधाएं।	05	145.66
iii.	बिजली (बिजली बैकअप सुविधाओं सहित) केवल स्वयं के उपयोग के लिए	23	209.97
iv.	प्रसंस्करण क्षेत्र में इकाई अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदित सभी प्रकार के भवनों का निर्माण।	22	124.75
v.	प्रसंस्करण क्षेत्र का वातानुकूलन	21	224.72
vi	अभिगम नियंत्रण और निगरानी प्रणाली	24	38.92
		कुल:	840.36

3.3.2. श्री डी.के. शर्मा, साहयक निदेशक और मेसर्स एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के एसोसिएट निदेशक श्री विनोद कुमार सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए और प्रस्तावित सामग्रियों की आवश्यकता के बारे में बताया।

3.3.3. अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद सामग्रियों की प्रस्तावित सूची को मंजूरी दे दी। अनुमोदन इस शर्त के अधीन है कि निर्दिष्ट अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि आयात के लिए 'प्रतिबंधित/निषिद्ध' उत्पादों की खरीद की अनुमति नहीं दी जाएगी।

मद संख्या 4: सुविधा प्रदाताओं को स्थान आवंटन/एसे अनुमोदनों को रद्द करने के प्रस्ताव:

4.1. मेसर्स एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड को आवंटन)।

4.1.1. मेसर्स एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के साहयक निदेशक श्री डी के शर्मा और श्री विनोद कुमार सिंह वीडियो साहयक निदेशक कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए और प्रस्ताव के बारे में बताया।

4.1.2. अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद प्लॉट नंबर 3 ए, 3 बी और 2 सी, सेक्टर -126, नोएडा (यूपी), मेसर्स आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड को पट्टे के आधार पर में आईटी/आईटीईएस विशेष आर्थिक क्षेत्र के प्रसंस्करण क्षेत्र में कैफेटेरिया -1 के ग्राउंड फ्लोर पर 300 वर्ग फुट निर्मित स्थान के आवंटन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। यह SEZ नियम, 2006 के नियम 11(5) के अनुसार, SEZ के कर्मचारियों द्वारा विशेष उपयोग के लिए डिजिटल बैंकिंग करने के लिए एक 'डिजिटल ई-लॉबी' की स्थापना और संचालन करना था। यह SEZ नियम, 2006 के नियम 11(5) के अनुसार, SEZ के कर्मचारियों द्वारा विशेष उपयोग के लिए डिजिटल बैंकिंग करने के लिए एक 'डिजिटल ई-लॉबी' की स्थापना और संचालन करना था। यह अनुमोदन इस शर्त के अधीन है कि एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र में ऐसी सुविधा स्थापित करने, संचालित करने और बनाए रखने के लिए

21/5/23

मेसर्स आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड को कोई कर/शुल्क लाभ उपलब्ध नहीं होगा। आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड एसईजेड परिसर में ऐसी सुविधा के निर्माण और संचालन के लिए, जहां भी लागू हो, संबंधित वैधानिक अधिकारियों से आवश्यक एनओसी / मंजूरी / अनुमोदन प्राप्त करेगा। इस सुविधा का उपयोग विशेष रूप से विशेष आर्थिक क्षेत्र और वहां स्थित इकाइयों के कर्मचारियों द्वारा किया जाएगा।

4.2.: मेसर्स ऑक्सीजन बिजनेस पार्क प्राइवेट लिमिटेड (एचडीएफसी बैंक लिमिटेड को आवंटन)।

4.2.1. श्री वैभव जिंदल, शहर प्रमुख, श्री प्रदीप शर्मा, एजीएम और श्री एल डी शर्मा, मेसर्स ऑक्सीजन बिजनेस पार्क प्राइवेट लिमिटेड के सहायक प्रबंधक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए और प्रस्ताव के बारे में बताया।

4.2.2. अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद प्लॉट नंबर 7, सेक्टर-144, नोएडा (यूपी) में आईटी/आईटीईएस एसईजेड, एसईजेड विकासक और एसईजेड इकाइयों के कर्मचारियों द्वारा विशेष उपयोग के लिए, 'डिजिटल बैंकिंग सेवाएं' स्थापित करने और संचालित करने के लिए एसईजेड नियम, 2006 के नियम 11(5) के अनुसार, मेसर्स एचडीएफसी बैंक लिमिटेड को पट्टे के आधार पर प्रसंस्करण क्षेत्र में टॉवर -3 के ग्राउंड फ्लोर पर रिटेल स्पेस में 708 वर्ग फीट सुपर बिल्ट-अप स्पेस (कालीन क्षेत्र 354 वर्ग फीट) के आवंटन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। यह अनुमोदन इस शर्त के अधीन है कि मेसर्स को कोई कर/शुल्क लाभ उपलब्ध नहीं होगा। एचडीएफसी बैंक लिमिटेड एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र में ऐसी सुविधा की स्थापना, संचालन और रखरखाव करेगा। मेसर्स एचडीएफसी बैंक लिमिटेड को एसईजेड परिसर में ऐसी सुविधा के निर्माण और संचालन के लिए, जहां भी लागू हो, संबंधित वैधानिक अधिकारियों से आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) / मंजूरी / अनुमोदन प्राप्त करना होगा। इस सुविधा का उपयोग विशेष रूप से एसईजेड और वहां स्थित इकाइयों के कर्मचारियों द्वारा किया जाएगा।

4.3: मेसर्स गोल्डन टावर इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड (फातिमा की मदर किचन को रद्द करना)।

4.3.1. मेसर्स गोल्डन टावर इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड के एवीपी श्री बी डी जोशी ने बैठक में भाग लिया और प्रस्ताव के बारे में बताया।

4.3.2 अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और विचार-विमर्श के बाद मेसर्स फातिमा मदर किचन को प्लॉट नंबर 8, सेक्टर-144, नोएडा (यूपी) में आईटी/आईटीईएस एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र में 'खाद्य और भोजनालयों के लिए बिक्री और सेवाएं' की स्थापना और संचालन के लिए ग्राउंड फ्लोर, बिल्डिंग नंबर 1 पर 200 वर्ग फीट सुपर बिल्ट-अप स्थान के आवंटन के लिए दी गई अनुमति पत्र संख्या 10/212/2008-SEZ/12053 दिनांक 21.10.2019 को रद्द करने हेतु के बाद प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

र. जोशी

मद संख्या 5 : आईटी बुनियादी ढांचे को साझा करने के प्रस्ताव:-**5.1.: मेसर्स एरिस्टोक्रेट टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड**

5.1.1 5.1.1 मेसर्स एरिस्टोक्रेट टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने सीव्यू डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड आईटी /आईटीईएस एसईजेड, प्लॉट संख्या 20 और 21, सेक्टर-135, नोएडा (यूपी), में स्थित अपनी इकाई के टॉवर-11ए के 8वें तल पर 450 वर्ग फुट के क्षेत्र में स्थापित आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर (सर्वर रूम) को साझा करने के लिए, एसईजेड नियम, 2006 के नियम 27(5) के प्रावधानों के तहत, इसकी निम्नलिखित 02 एसटीपीआई इकाइयां नोएडा और गुरुग्राम में स्थित हैं, प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

इकाई का नाम	एलओए/एलओपी विवरण	स्थान
मेसर्स एरिस्टोक्रेट टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एसटीपीआई इकाई)	एलओपी नंबर एसटीपीआईएन/एपीपी/12232009/201296/10480 दिनांक 23.12.2009	नोएडा
मेसर्स एरिस्टोक्रेट टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एसटीपीआई इकाई)	एसटीपीआईएन/एपीपी/1142016/201487 दिनांक 08.11.2016	गुडगाँव

5.1.2. अनुमोदन समिति ने पाया कि, SEZ नियम, 2006 के नियम 27(5) में यह प्रावधान है "एक इकाई विशेष आर्थिक क्षेत्र में इकाइयों द्वारा उपयोग के लिए एक केंद्रीय सुविधा बनाने के लिए और जहां सॉफ्टवेयर विकास के लिए ऐसी सुविधा बनाई गई है, शुल्क, उपकरण के भुगतान के बिना, घरेलू टैरिफ क्षेत्र से सभी प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं का आयात या खरीद कर सकती है, इसे घरेलू टैरिफ क्षेत्र के सॉफ्टवेयर निर्यातकों द्वारा भी एक्सेस किया जा सकता है।" एसईजेड अधिनियम, 2005 की धारा 2 (i) में दी गई 'घरेलू टैरिफ क्षेत्र' की परिभाषा यह है कि 'घरेलू टैरिफ क्षेत्र' का अर्थ संपूर्ण भारत (प्रादेशिक जल और महाद्वीपीय शेल्फ सहित) है, लेकिन इसमें विशेष आर्थिक क्षेत्र शामिल नहीं है।

5.1.3. श्री रितेश गर्ग, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता और श्री तेजस्वी आनंद, मेसर्स के अधिकृत प्रतिनिधि अरिस्टोक्रेट टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुईं और प्रस्ताव के बारे में बताया।

5.1.4. अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद एसईजेड नियम, 2006 के नियम 27(5) के अनुसार, उपरोक्त दो एसटीपीआई इकाइयों के साथ आईटी बुनियादी ढांचे (सर्वर रूम) को साझा करने के लिए इकाई के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। अनुमोदन इस शर्त के अधीन है कि एसईजेड अधिनियम, 2005/नियमों और लागू संबंधित नीति के प्रावधानों के अनुसार सभी इकाइयों द्वारा अधिकृत गतिविधियों का पृथक्करण बनाए रखा जाएगा।

मद संख्या 6: निदेशकों में परिवर्तन की सूचना।

रि. जे. 1

10/15

6.1: मेसर्स कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (इकाई-I और इकाई-II)।

6.1.1. अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी निर्देश संख्या 109 दिनांक 18.10.2021 के संदर्भ में, उसमें निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुपालन के अधीन, प्लॉट नंबर 20 और 21, सेक्टर-135, नोएडा (यूपी) पर सीव्यू डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड आईटी/आईटीईएस विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थित इसकी दो इकाइयों के संबंध में मेसर्स कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों में निम्नलिखित बदलावों पर ध्यान दिया।

पिछले निदेशक	वर्तमान/संशोधित निदेशक
1. श्री राजेश नांबियार	1. श्री राजेश नांबियार
2. श्री रामसेशन कोठंडारमन	2. श्री नारायणन टी.
3. श्री नारायणन टी.	3. श्री शांतनु राजेंद्र झा
4. श्री शांतनु राजेंद्र झा	4. श्री पी के हरि

6.1.2. यह निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के अधीन है: -

- श्री पी के हरि की नियुक्ति के लिए पैन कार्ड और पासपोर्ट/आधार कार्ड की प्रतियां।
- श्री रामसेशन कोठंडारमन की समाप्ति के लिए फॉर्म डीआईआर-12 की प्रति।

6.2: मेसर्स इन2आईटी टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड।

6.2.1 अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी निर्देश संख्या 109 दिनांक 18.10.2021 के संदर्भ में, उसमें निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुपालन के अधीन, प्लॉट नंबर 21, सेक्टर-टेकजोन IV, ग्रेटर नोएडा (यूपी), पर अर्थ इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड आईटी/आईटीईएस विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थित अपनी इकाई के संबंध में मेसर्स इन2आईटी टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों में निम्नलिखित परिवर्तनों पर ध्यान दिया: -

पिछले निदेशक	वर्तमान/संशोधित निदेशक
1. श्री विशाल उपासराव ब्रपात्रे	1. श्री बलजीत सिंह
2. श्री सौरभ कुमार	2. श्री निहार आनंद
3. श्री रूद्र शंकर शतपथी	

6.2.2. यह निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के अधीन है: -

- वर्तमान निदेशकों की सूची
- श्री बलजीत सिंह की नियुक्ति के लिए पैन कार्ड और पासपोर्ट/आधार कार्ड की प्रतियां।

रिजिस्ट्रार

- III. इकाई के शेयरधारिता पैटर्न का विवरण, सीए द्वारा विधिवत प्रमाणित, निदेशकों की नियुक्ति और समाप्ति के बाद परिवर्तन, यदि कोई हो, के साथ।

मद संख्या 7. इकाई के संचालन की शुरुआत का मामला:

7.1: मेसर्स एब्सैक्स टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड।

7.1.1. श्री रजनीश अरोड़ा, सीईओ, श्री पीयूष अग्निहोत्री, प्रबंधक और श्री हितेंद्र कुमार, मेसर्स एब्सैक्स टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंधक अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव के बारे में बताया।

7.1.2. अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 के नियम 43 ए के तहत दिए जाने वाले वर्क फ्रॉम होम (डब्ल्यूएफएच) की गैर-सूचना को माफ कर दिया और इकाई द्वारा प्रस्तुत प्रथम चालान की प्रति के अनुसार इकाई के संचालन की शुरुआत की तारीख 03.02.2023 पर ध्यान दिया।

मद संख्या 8 इकाई के संशोधित अनुमान:

8.1: मेसर्स एब्सैक्स टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड

8.1.1 श्री रजनीश अरोड़ा, सीईओ, श्री पीयूष अग्निहोत्री, प्रबंधक और श्री हितेंद्र कुमार, मेसर्स एब्सैक्स टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंधक अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव के बारे में बताया।

8.1.2. अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद निम्नलिखित संशोधित एनएफई अनुमानों पर ध्यान दिया, जिसमें इकाई द्वारा निष्पादित और इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत बीएल्यूटी में परिलक्षित आयातित इनपुट सेवाओं का संशोधित मूल्य भी शामिल है।

(रूपये लाख में)

विवरण संशोधित अनुमान	मौजूदा अनुमान	संशोधित अनुमान
निर्यात का एफओबी मूल्य	1698065.34	1698065.34
विदेशी मुद्रा व्यय	1528125.00	1532625.00
एनएफई कमाई	169940.34	165440.34
आयातित पूंजीगत सामान	4500.00	4500.00
स्वदेशी पूंजीगत सामान	300.00	300.00
आयातित इनपुट सेवाएँ	1523245.00	157745.00
स्वदेशी इनपुट सेवाएँ	2532.50	2532.50

रजनीश

12/15

मद संख्या 9 एसईजेड के भीतर इकाई के स्थान परिवर्तन के लिए प्रस्ताव।**9.1. मैसर्स डांसेंटर ए/एस.**

9.1.1. श्री रंजू माहेश्वरी, एवीपी और श्री तेजस्वी आनंद, मैसर्स डांसेंटर ए/एस के अधिकृत प्रतिनिधि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए और प्रस्ताव के बारे में बताया। प्रतिनिधियों ने यह जानकारी दी वर्तमान में 11वीं मंजिल, टॉवर-1 फिट-आउट के लिए तैयार नहीं है और वे इकाई का शीघ्र संचालन करना चाहते हैं। इसलिए, उन्होंने इकाई को 'जीआर002, ग्रांड फ्लोर, टावर-4' में स्थानांतरित करने के लिए आवेदन किया है, जहां इकाई के संचालन शुरू करने के लिए फिट-आउट तैयार हैं। उन्होंने आगे बताया कि मौजूदा अनुमोदित निर्यात, निवेश और रोजगार अनुमानों में कोई बदलाव नहीं होगा क्योंकि यह भविष्य में इकाई के क्षेत्र के विस्तार के लिए आएगा जब एसईजेड में आवश्यक बुनियादी ढांचा तैयार हो जाएगा।

9.1.2. अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद इकाई के स्थान को '11वीं मंजिल, टावर-1 2611 वर्ग फुट' पर 10000 वर्ग फुट' से बदलकर 'जीआर002 ग्रांड फ्लोर, टावर-4' उसी एसईजेड के भीतर यानी अर्थ इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड आईटी/आईटीईएस विशेष आर्थिक क्षेत्र, प्लॉट नंबर 21, सेक्टर-टेकजोन- IV, ग्रेटर नोएडा (यूपी) पर करने के लिए मैसर्स डांसेंटर ए/एस के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

मद संख्या 10: नई इकाई की स्थापना हेतु प्रस्ताव:-**10.1. मैसर्स शंकर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।**

10.1.1 मैसर्स शंकर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने ग्राम इब्राहिमपुर, जुनैदपुर उर्फ मौजपुर, जिला-बुलंदशहर (यूपी) में अर्शिया नॉर्दर्न एफटीडब्ल्यूजेड लिमिटेड मुक्त व्यापार और भंडारण क्षेत्र में एक इकाई स्थापित करने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया है, जिसमें " भंडारण, लेबलिंग के साथ या बिना लेबलिंग के व्यापार" किया जाएगा। बिना किसी प्रसंस्करण के पैकिंग या पुनः पैकिंग, 'प्रतिबंधित' और निषिद्ध वस्तुओं को छोड़कर संलग्न सूची के अनुसार वस्तुओं के लिए पूरी तरह से नॉकड डाउन या सेमी नॉकड डाउन किट की संयोजन"। आवेदक ने आइटम विवरण के साथ 4 अंकों के 17 एचएस कोड की सूची संलग्न की है। आवेदक ने पांच वर्षों की अवधि में 5184.00 लाख रुपये के निर्यात और 4922.00 लाख रुपये के संचयी निवल विदेशी मुद्रा का अनुमान लगाया। आवेदक ने अर्शिया एफटीडब्ल्यूजेड में 6782 वर्गमीटर (73000 वर्गफुट) की जगह के लिए सहमति पत्र की एक प्रति प्रस्तुत की, जो एफटीडब्ल्यूजेड विकासक द्वारा दिनांक 11.08.2023 के पत्र के माध्यम से जारी किया गया था।

10.1.2. प्रथम दृष्टया आवेदन में निम्नलिखित कमियाँ देखी गई हैं:-

(रिजर्व)

- I. आवेदक के पास शेयरधारिता पैटर्न में शेयर की संख्या और % शेयर '(0) शून्य' नहीं है। इसे स्पष्ट/सुधारित करने की आवश्यकता है। सीए प्रमाणित शेयरधारिता विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है।
- II. फॉर्म-एफ में, आवेदक ने भूमि की आवश्यकता 279 वर्ग मीटर [पैरा VIII (1)] और निर्मित क्षेत्र की आवश्यकता 6503 वर्ग मीटर [पैरा VIII (2)] दिखाई है।
- III. एफटीडब्ल्यूजेड इकाई होने की आवश्यकता के औचित्य के साथ 375 लाख रुपये के प्रस्तावित संयंत्र और मशीनरी की सूची प्रस्तुत की जानी चाहिए।
- IV. 4922 लाख रुपये के प्रस्तावित विदेशी मुद्रा व्यय का विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है।

10.1.3. श्री श्रीचंद चिमनानी, वरिष्ठ निदेशक-लॉजिस्टिक्स, श्री अजय सहगल, निदेशक-वित्त श्री प्रदीप झा, मेसर्स शंकर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के जीएम-लॉजिस्टिक्स, अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव के बारे में बताया। प्रतिनिधियों ने बताया कि शंकर इंडिया प्रा. लिमिटेड डीजी शंकर समूह का एक हिस्सा है। आगे बताया गया कि उनके द्वारा आयातित वस्तुओं के संबंध में भंडारण और सेवाओं के लिए 'बोइंग' के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जा रहे हैं। उन्होंने आगे स्पष्ट किया कि ये वस्तुएं केवल नागरिक विमानों से संबंधित हैं।

10.1.4. अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद पैरा 10.1.2 में बताए गए दस्तावेज प्रस्तुत करने के अधीन, विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 के निर्देश संख्या 49 दिनांक 10.03.2010 के साथ पढ़े गए नियम 18(5) के अनुसार सख्ती से अधिकृत गतिविधियों को करने के लिए इकाई की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। अनुमोदन निम्नलिखित नियम एवं शर्तों के अधीन है:-

- I. ऐसे उत्पाद जो विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) के तहत आयात और निर्यात के लिए "निषिद्ध/प्रतिबंधित" हैं, उन्हें अनुमति नहीं दी जाएगी।
- II. इकाई के अधिकृत संचालन का दायरा सख्ती से विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 के नियम 18(5) के अनुसार होगा।
- III. इन वस्तुओं की किसी भी घरेलू टैरिफ क्षेत्र (डीटीए) बिक्री की अनुमति नहीं दी जाएगी। केवल भौतिक निर्यात की अनुमति होगी जिसका अर्थ है कि उत्पादों को भारत के भौगोलिक क्षेत्र से बाहर निर्यात करने की आवश्यकता होगी। इसमें डीमड निर्यात और यहां तक कि एसईजेड से एसईजेड लेनदेन दोनों शामिल नहीं होंगे।
- IV. डीजीएफटी अधिसूचनाओं/सार्वजनिक सूचना/समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार बंदरगाह प्रतिबंध लागू होंगे।

21/06/22

I/50821/2023

- V. इकाई को संबंधित केंद्रीय/राज्य मंत्रालयों/विभागों (जैसे रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय आदि) और डीजीएफटी की आयात नीति सहित संबंधित अधिकारियों से आयात/निर्यात के लिए आवश्यक 'अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी)' प्राप्त करनी होगी।

मद संख्या 11 इकाई के एलओए में अतिरिक्त अधिकृत संचालन को शामिल करने का प्रस्ताव।

11.1 मैसर्स वर्धमान कस्टम्स क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स।

11.1.1 अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद अर्शिया नॉर्दर्न एफटीडब्ल्यूजेड लिमिटेड मुक्त व्यापार और भंडारण क्षेत्र ग्राम- इब्राहिमपुर, जुनैदपुर उर्फ मौजपुर, खुर्जा, जिला-बुलंदशहर में स्थित अपनी इकाई के एलओए दिनांक 28.12.2018 में निम्नलिखित वस्तुओं को शामिल करने के लिए मैसर्स वर्धमान कस्टम्स क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंटों के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

क्र.सं	आईटीसी(एचएस) कोड	वस्तु विवरण
1.	8473	पुर्जे और सहायक उपकरण (कवर, कैरी केस और इसी तरह की चीजों के अलावा) केवल या मुख्य रूप से शीर्षक 8470 से 8472 की मशीनों के साथ उपयोग के लिए उपयुक्त हैं।

11.1.2 यह अनुमोदन उन ग्राहकों के केवाईसी विवरण प्रस्तुत करने के अधीन है जो प्रस्तावित वस्तुओं को गोदाम में रखना चाहते हैं।

बैठक अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के साथ समाप्त हुई।



राजेश कुमार
उप.विकास आयुक्त



ए. बिपिन मेनन
विकास आयुक्त